मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1975

(30 जून 1982 तक संशोधित)

MUMBAI PORT TRUST (Welfare fund) REGULATIONS,1975

(Revised upto 30th June 1982)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1975

(30 जून 1982 तक संशोधित)

विनियम	वि ष य सू ची	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	....
2.	परिभाषाएं	....
3.	निधि की स्थापना	....
4.	निधि का प्रशासन	....
5.	निधि से व्यय	....
6.	निधि से भुगतान	....
7.	निधि में अधिकतम राशि	....
8.	निधि के अधिशेष का निपटान	....
9.	व्याख्या	....
10.	रद्द करना और बनाये रखना	....

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी
(कल्याण निधि) विनियम, 1975

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व वर्तमान विनियमों को प्रतिस्थापित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (1) द्वारा जैसा आवश्यक है वैसे केंद्र सरकार के अनुमोदन से मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल एतं द्वारा निम्न विनियम बनाता है जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत आवश्यकता नुसार पहले से ही सरकारी गजट के लगातार दो अंको में प्रकाशित हो चुके हैं अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1975 कहा जा सकेगा.

(2) ये विनियम सरकारी गजट में सरकार की मंजूरी के प्रकाशन की तिथि (19 मार्च 1976) से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएँ : इन विनियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -**

क) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" और "विभाग प्रमुख" से वही तात्पर्य होगा जो तात्पर्य मेजर पोर्ट ट्रस्टस् अधिनियम 1963 में क्रमशः उन्हें दिया गया है.

ख) "कर्मचारी" से तात्पर्य विदेश सेवा के कर्मचारी सहित मंडल का स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार का स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी अथवा मंडल का प्रतिनियुक्त स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी.

---

* मंडल द्वारा उनके दि. 9 सितंबर 1975 की न्या.सं.सं. 506 द्वारा तथा केंद्र सरकार द्वारा जभूपमं के दि.3 मार्च 1976 की पत्र सं.पीईबी(72)/75 नुसार मंजूर.

** 19 मार्च 1976 से लागू.

ग) ङनिधिच से तात्पर्य विनियम 3 के अंतर्गत स्थापित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी कल्याण निधि से है.

घ) ङसामान्य खाताच से तात्पर्य मंडल का सामान्य खाता है.

3. निधि की स्थापना : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी कल्याण निधि नाम की एक निधि होगी जिसमें निम्न प्रकार से धन जमा होगा.

क) समय-समय पर मंडल द्वारा मंजूर सामान्य खाते से अंशदान,

ख) इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पहले अथवा बाद में फैक्टरीज अधिनियम, 1948 की धारा 2(5) की परिभाषा के अनुसार ङफैक्टरीच में नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा अन्य बकाया भुगतान जिसके लिए देय तिथि से 3 वर्ष तक (भुगतान तिथि से) दावा न किया गया हो,

ग) फैक्टरीज अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम्) की परिभाषा के अनुसार ङफैक्टरीच में नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों से प्राप्त अर्थदंड,

घ) कर्मचारी भविष्य निधि का वह अंशदान जो भविष्य निधि को विनियमित करने वाले संगत विनियमों के अंतर्गत रोक लिया गया हो,

ड) निधि से कर्मचारी सहकारी संस्थाओं को मंजूर कर्ज पर ब्याज,

च) निधि के निवेशोंपर प्राप्त लाभ और ब्याज तथा,

छ) उपहार अथवा दान के रुप में निधि के लिए दी गई किसी भी प्रकार की राशि अथवा संपत्ति.

4. निधि संबंधी प्रबन्ध - निधि संबंधी प्रबन्ध अध्यक्षजी करेंगे जो स्वेच्छा (विवेक) से इस उद्देश्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित कर सकते हैं.

5. निधि से व्यय - निम्न लिखित मदों पर निधि व्यय की जाएगी :

क) वेतन और मजदूरी आदि के भुगतान का दावा, वेतन और मजदूरी आदि के भुगतान के पश्चात शेष रकम को विनियम 3 के खंड (ख) के अंतर्गत निधि में अंतरित,

ख) कर्मचारी और उनके परिवार के कल्याण से संबंधित संस्थाओं, क्लबों इत्यादि को दान, चंदे और उपहार,

ग) कर्मचारियों द्वारा चलाये जानेवाले सहकारी उपभोक्ता भंडारों और सहकारी कैंटीनों (जलपान गृहों) को अनुदान, आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता,

घ) कर्मचारियों द्वारा चलाये जाने वाले सहकारी उपभोक्ता भंडारों और सहकारी कैंटीनों (जलपान गृहों) को अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर नियत किए गए ब्याज की रियायती दरों पर कर्ज,

ड) पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों के लिए कैटरर-मैनेज्ड कैंटीनों को आर्थिक सहायता

च) कर्मचायरियों के बच्चों को वजीफे और पुरस्कार और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए साक्षरता कक्षाएँ, हस्तकला शिक्षण तथा उनके लिए बनाये गये वाचनालयों एवं पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता,

छ) कामगार शिक्षण योजना पर खर्च,

ज) कर्मचारियों के लिए खेलकूद, सैर, प्रतियोगिताओं, नाटकों, संगीतों, फिल्म शोज, भजनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि को संचालित करने के लिए अनुदान और कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस, सहकारी सप्ताह, सफाई सप्ताह, इत्यादि को मनाने के लिए अनुदान,

झ) कर्मचारियों के बच्चों के स्काउट और गाइड समूह के लिए अनुदान,

त्र) बंदरगाह में जान-माल की रक्षा और अन्य प्रशंसनीय कार्यों के लिए कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार,

ट) कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को संकट में वित्तीय सहायता,

ठ) कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के लिये किये गए खर्च की प्रतिपूर्ति जो चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार नियमों के अंतर्गत न आती हो,

ड) मंडल द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार टी.बी., कैन्सर, लकवा अथवा कुष्ठरोग से पीडित कर्मचारियों को मासिक निर्वाह अनुदान के रुप में सानुग्रही अदायगी और उन्हीं शर्तों पर शारीरिक रुपसे अपंग कर्मचारियों को ऐसे अनुदान का भुगतान,

ढ) उन कर्मचारियों के परिवारों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करना जो काम करते हुए अथवा काम पर आते या जाते समय मर जाते हैं अथवा गंभीर रुप से घायल हो जाते हैं; और

ण) अध्यक्ष महोदय की इच्छासे कर्मचारियों एवं उनके परिवार के हित के लिए खर्च का अन्य कोई भी मद.

6. निधि से भुगतान -

(1) (क)विनियम 5 के खंड (क) और खंड (ड) के अंतर्गत अगर कोई दावा किया जाता है, तो मुख्य लेखाकार द्वारा निधि से भुगतान प्राधिकृत किया जाय, बशर्ते कि वह दावा अन्यथा बकाया हो और देय हो.

(ख)खंड (क) के अंतर्गत ममलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में अध्यक्ष महोदय की मंजूरी से भुगतान किया जाएगा तथापि अध्यक्ष महोदय विनियम 5 में उल्लिखित किसी भी मद के संबंध में निधि से खर्च करने की मंजूरी के अधिकारों को उन शर्तों और प्रतिबंधों पर उपाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष को दे सकेंगे जैसा वे समय - समय पर लागू करेंगे.

7. निधि में अधिकतम राशि - निधि में रखी गयी अधिकतम राशि की सीमा 10 लाख रुपये होगी.

8. निधि के अधिशेष का निपटान - विनियम 7 के अनुसार विधि की अधिकतम निर्धारित राशि से अधिक राशि मंडल के सामान्य खाते में जमा की जाएगी.

9. अर्थनिर्णय - इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह अध्यक्ष जी के सम्मुख रखा जाएगा और उसपर उनका ही निर्णय अंतिम होगा.

10. रद्द करना और बनाये रखना -

(1) इन विनियमों के लागू होने से तत्काल पूर्व प्रचलित प्रत्येक वह नियम, विनियम, संकल्प अथवा आदेश रद्द माना जाएगा जिन के किसी मद की व्यवस्था इन विनियम में हो.

(2) प्रचलन की समाप्ति के बावजूद पुराने नियमों, विनियमों, संकल्पों अथवा आदेशों के अनुसार कुछ किया गया अथवा कोई कार्यवाही की गई हो, तो यह माना जाएगा कि ये कार्य इन विनियमों के अनुकूल प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है अथवा कार्यवाही की गयी है.